न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)
I.D No-UP 5743
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–337/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2379/2026
(CNR UPLP 010051342026)

विजय कुमार सिंह उम्र 44 साल पुत्र प्रताप सिंह, निवासी ललौहा, मजरा जानकी नगर, थाना–मैगलगंज, जिला–खीरी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–82/2022
धारा–420, 406 भा0दं0सं0,
थाना–मोहम्मदी,
जिला–लखीमपुर–खीरी।

20.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त विजय कुमार सिंह की ओर से मु0अ0सं0–82/2022, धारा–420, 406 भा0दं0सं0, थाना–मोहम्मदी, जिला–लखीमपुर–खीरी के मामले में जमानत पर मुक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है। प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अथवा किसी सत्र न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त किया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त को रंजिशन नामित किया गया है। अभियुक्त ने न तो वादी से किसी प्रकार की धनराशि ली है न ही कोई ठगी की है। अभियुक्त को मात्र पुरानी रंजिश के कारण नामित कर दिया गया है। घटना दिनांक 19.10.2021 की होनी कही जाती है, जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.12.2022 को करीब तीन साल बाद रायमशविरा के आधार पर अंकित करायी गयी है, बिलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। जारी वारण्ट के आरधार पर पुलिस अभियुक्त को तलाश कर रही है, यदि पुलिस पकड़ लेगी तो अभियुक्त की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अभियुक्त पूर्व से सजायाफ्ता अपराधिक नहीं है। अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने के बाद उसका दुरूपयोग नहीं करेगा एवं गवाहों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा न ही डरायेगा धमकायेगा। अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने के बाद भारत देश से बाहर नहीं जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर मुक्त होने के पश्चात् जमानत सुविधा का

दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

5. संक्षेप में, अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा प्रेम कुमार ने दिनांक 04.02.2022 को थाना संबंधित पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि विजय कुमार से उसका पुराना व्यवहार है। विजय ने उसकी मुलाकात रामचन्द्र पाल से करवाई है और बताया कि ये प्रापटी खरीदने बेचने का काम करते है। रामचन्द्र ने वादी को बताया कि वह जी0टी0रोड जे0बी0गंज उचौलिया मार्ग पर मेन रोड के पास एक खेत का एग्रीमेन्ट करवाकर उस पर प्लाटिंग करने जा रहा है। वहॉ पर वह वादी को एक प्लाट पॉच लाख रूपये में दे देगा। वादी को उसे आधा पैसा एडवान्स में तुरन्त बतौर बयाना देना होगा तथा शेष ढाई लाख रूपया 3 माह बाद प्लाट का बैनामा करवाते समय देना होगा। विपक्षीगण की बात पर विश्वास करके वादी एडवांस में आधा पैसा देने को तैयार हो गया। दिनांक 19.10.2019 को दोपहर करीब 02.00 बजे वादी अपने मित्रों कपिल, शिव कुमार के साथ विपक्षीगण से मेला मैदान मोहम्मदी में मिला, जहॉ वादी ने उन्हें बयानों की धनराशि मु0–25,0000/–रूपये समक्ष गवाहान दे दिये तथा रामचन्द्र ने वादी को अपने हस्ताक्षर की हुई एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा गोला गोकरन नाथ की ब्लैक चेक संख्या–000010 दे दी तत्पश्चात विपक्षीगण 3 माह में प्लाट का बैनामा करने का वादा करके चले गये। 03 माह बाद जब वादी ने विपक्षीगण से उस बाबत पूछा तो उन्होंने वादी से थोड़ा इन्तजार करने को कहा, जैसे जैसे समय बीतता गया विपक्षीगण वादी को अलग–अलग बहाने बनाकर टालते रहे। करीब डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद विपक्षीगण ने वादी के प्लाट का बैनामा नहीं कया तो दिनांक 22.02.2021 को दोपहर करीब 12.00 बजे वादी रामचन्द्र के घर गया और अपने पैसे मांगे तो उसने कहा कि पैसे वापस नहीं हो पायेंगे जब कभी एग्रीमेंट होगा तो उसे एक प्लाट दे दिया जायेगा और अगर उसने उसकी चेक को अपने खाते में लगाया तो उस पर फर्जी मुकदमा लिखवाकर जेल भेज देगा। वादी ने जब विजय से अपने पैसे वापस करवाने को कहा तो उसने भी गोलमो जबाव देकर किनारा कर लिया। विपक्षीगण के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वे जासाज किस्म के व्यक्ति है और न ही उनकी किसी से खेत एग्रीमेन्ट कराने की बात चल रही है। विपक्षीगण पहले भी कई लोगों के साथ धोखा धड़ी कर के उनके पैसे और जमीन हड़प कर चुके है। उनके विरूद्ध कई मुकदमे भी चल रहे है। विपक्षीगण ने वादी के साथ छलकपट करके उसे प्लाट दिलाने का झासा देकर उसके ढाई लाख रूपया हड़प लिये है।

6– अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं विद्वान वन अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा के साथ प्लाट विक्रय करने के एवज में एडवान्स में रूपये

लेकर प्लाट न देकर छल करने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है कि अभियुक्त विजय कुमार ने सहअभियुक्त रामचन्द्र पाल से वादी की पहचान प्रापर्टी डीलर की रूप में करायी थी। सहअभियुक्त रामचन्द्र को वादी ने प्लाट का एडवांस देने का कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध 07 वर्ष के कारावास व उससे कम की सजा के दण्ड से दण्डनीय है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है, कोई विवेचना लंबित नहीं है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8— अतएव मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त विजय कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0 1,00,000/—रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

1— आरोप की सुनवाई तक वह प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगा।

2— दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगा।

3— न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगा।

उपरोक्त में से किसी शर्त के उल्लंघन होने पर आवेदक/अभियुक्त को प्रदत्त अग्रिम जमानत पर पुर्नविचार किया जा सकेगा।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर—खीरी।
20.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.23 10:54:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court